यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
UJVN LIMITED
A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
कार्यालय उपमहाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी), 'उज्ज्वल', महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून–248006 (उत्तराखण्ड), दूरभाष: 0135–2763808, फैक्स: 0135–2763508
Dy. General Manager (IT), "Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 (Uttarakhand), Phone:0135-2763808, Fax: 0135–2763508
CIN No.40101UR2001SGC025866
ISO 9001:2008 Certified

No.: 1165/UJVNL/02/MD/D(O)/DGM(IT)/Disposal Date: 19/12/2017

OFFICE MEMORANDUM

The Departmental Condemnation Committee for Condemnation of ICT Components constituted vide OM No. 396/UJVNL/02/MD/D(O)/DGM(IT)/Disposal dt. 06/05/2017 is revised as follows :

1. GM (E&M Design), UJVN Ltd. – President
2. DGM (MM&C), UJVN Ltd. – Member
3. DGM (Resource Mobilization), UJVN Ltd. – Member
4. DGM (IT), UJVN Ltd. – Member Secretary

19/12/17

(R.B. Tripathi)
DGM (IT)

Copy forwarded to following for kind information and necessary action :

1. PS to Managing Director, UJVN Ltd., "Ujjwal", Dehradun.
2. Director (Operations / Projects/ Finance/ HR), UJVN Ltd. "Ujjwal", Dehradun.
3. All Executive Directors, UJVN Ltd. "Ujjwal", Dehradun.
4. All General Managers, UJVN Ltd.
5. Concerned Committee member.
6. All Dy. General Managers, UJVN Ltd.
7. SM (IT), UJVN Ltd. for uploading the copy of the OM on Nigam website.

JE(IT)
Pl. upload on website.

19/12/17
SM-IT

Annexure-2

Sequence of Activities for Condemnation of ICT Components

Sl. No.	Activity	Responsibility	Output Report
Step- 1 : Preparation of Condemnation Reports at Site Level			
1	Preparation of Condemnation Reports of ICT components as per **"The Condemnation and Disposal of ICT Components Policy 2016"** of GoU.	Concerned EE, AE and JE of Unit/ Section in conjuction with IT Department.	Annexure -1
2	Examination of the Condemnation Reports as per **"The Condemnation and Disposal of ICT Components Policy 2016"** of GoU.	Concerned DGM along with concerned Finance officer (Dy. CAO/SAO/ AO) of Site. The Finance officer will be responsible for checking the valuation of the asset.	
3	Forwarding along with Recommendation of the completed Condemnation Report (Annexure-1) to the Departmental Condemnation Committee (to DGM (IT) as Member Secretary of the Committee)	Concerned GM (for Units headed by DGMs and not reporting to GMs, this role will be played by concerned DGMs)	
Step- 2 : Consolidation/ Recommendation of Condemnation Reports by Departmental Condemnation Committee			
1	Examination of the Condemnation Reports sent by concerned GM.	Departmental Condemnation Committee	Annexure-2
2	Forwarding along with Recommendation of the consolidated Report (as in Annexure – 2) to MMC department, UJVNL	DGM (IT)	

अनुलग्नक—1
(विभागीय निष्प्रयोजन समिति के प्रयोगार्थ)

(विभागीय निष्प्रयोजन हेतु प्रस्तावित उपकरणों की निष्प्रयोजना का प्रारूप)

ईकाई / अनुभाग का नाम :—

कारपोरेशन / निगम कार्यालय का नाम :—

दिनांक :—

आइटम नं0	Asset Code	कम्प्यूटर / सहवर्ती उपकरण / उत्पाद का नाम	प्लांट / इनवेन्टरी / रिकार्ड रजिस्टर नं0 / मटीरियल कोड	मेक / मॉडल / सीरियल नं0	क्रय दिनांक / वर्ष (वास्तविक / अनुमानित) As per FAR	क्रय मूल्य (As per FAR)	मूल्यह्रास की दर (% में)	वर्तमान बुक वैल्यू (Written Down Value as per FAR)	टिप्पणी

Name:	Name:	Name:
Designation:(Account Holder-concerned Draftsman/Computer/JE of site)	Designation:(Verifying Officer-concerned AE of site	Designation:(Verifying Officer-concerned AE of site
Name:	Name:	Name:
Designation:(Concerned JE of IT)	Designation:(Concerned AE of IT)	Designation:(Concerned EEof IT)
Name:		Name:
Designation:(Concerned Accounts Representative of Site-Dy. CAO/SAO/AO)		Designation:(Concerned DGM of site)

उत्तराखण्ड शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संख्या– /XXXIV/2016–67/2014
देहरादून: दिनांक: २० मार्च मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के विभिन्न विभागों में आई0सी0टी0 उपकरणों की निष्प्रयोज्यता एवं उसके निदान की व्यवस्था बनाये जाने के उद्देश्य से मा0 राज्यपाल राज्य में आई0सी0टी0 उपकरणों के निष्प्रयोज्यता एवं उनके निदान की नीति, जिसकी प्रति संलग्न है, को दिनांक 15 मार्च, 2016 से लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(दीपक कुमार)
सचिव।

संख्याः 175/XXXIV/2016–67/2014 तद्दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माझरा देरादून।
9. समस्त मण्डलाधिकारी, समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु तथा नीति की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित प्रेषित।
13. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
14. निदेशक, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संख्या:— 175/2016/XXXIV—67/2014
देहरादून: दिनांक २० मार्च मई, 2016

सूचना और संचार तकनीकी घटकों के अनुपयोग और निस्तारण के लिए नीति, 2016

नीति के उद्देश्य —

उत्तराखण्ड के समस्त सरकारी कार्यालयों में यह अनुभव किया जा रहा है कि अनुपयोगी रचनात्मक घटकों के निस्तारण के लिए तथा प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी के पुनरूत्थान हेतु समेकित नीति की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड सरकार के पणधारियों के लिए सूचना और अनुपयोगी संचार तकनीकी घटकों के निस्तारण के लिए समेकित, आर्थिकी और उपयुक्त प्रकिया तैयार करना इस नीति का उद्देश्य हैं।

2— सूचना एवं संचार तकनीकी घटको के अनुपयोग और निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश:— सूचना और संचार तकनीकी घटक:

सूचना और संचार तकनीकी घटक में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होनी चाहिए—

- पर्सनल कम्प्यूटर
- सर्वर
- लैपटाप/टेबलेट
- डम्ब टर्मिनल
- प्रिंटर कार्टेज सहित
- स्कैनर
- यूपीएस
- डाटा संचार उपकरण
- दूरसंचार उपकरण/मोबाइल हैण्डसेट
- पैकेज सॉफ्टवेयर
- फोटोकॉपियर
- इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक टाईपराइटर
- फैसिमाइल
- टेलेक्स
- दूरभाष
- डिसप्ले सिस्टम

- पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क (एक्सटर्नल और इंटरनल), सीडी, डीवीडी, टेप ड्राइव्स इत्यादि सहित स्टोरेज डिवाइस
- इलेक्ट्रॉनिक पेन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर/राइटिंग पैड
- उपर्युक्त किन्ही घटकों के प्रयुक्त और परिधीय सामग्री

लागू होना:–

- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त सरकारी विभाग,
- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त निगमित निकाय/स्थानीय निकाय,
- उत्तराखण्ड सरकार के अधीन समस्त सार्वजनिक उपक्रम/सोसाइटी/निदेशालय/आयुक्तों के कार्यालय।

अनुपयोगिता के लिए आधार:–

सूचना और संचार तकनीकी घटकों को निम्नलिखित आधार पर अनुपयोगी किया जा सकता है:–

❖ तकनीकी रूप से अप्रचलित

- ➢ पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने और कार्य करने की स्थिति में न होना।
- ➢ पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने और तकनीकी रूप से सक्षम न होने, जिसके फलस्वरूप क्षमता प्रभावित हो रही हो और अपेक्षा के अनुसार परिणाम न आना।
- ➢ पैकेज सॉफ्टवेयर केवल यह घोषित करते हुए अनुपयोगी किया जा सकता है कि यह तकनीक अप्रचलित है जिसे ओईएम से अद्यतन या उपयुक्त नहीं किया जा सकता है।

❖ मरम्मत आर्थिक रूप से उचित नहीं है–

सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों को, जब इन घटकों को पुनरूत्थानित या आर्थिक रूप से सुरक्षित/व्यापक रूप से मरम्मत और पुनः एसेम्बल/एसेसरीज को नहीं बदला जा सकता है तथा उसके समकक्ष किसी मशीन का मूल्य पचास प्रतिशत से अधिक हो, को बीईआर से अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार इस ऐसे विक्रेता से प्राप्त किया जा सकता है जो वार्षिक अनुरक्षण का आश्वासन दे। इसे पैकेज साफ्टवेयर के लिए भी विधिमान्य किया जा सकता है।

❖ गैर–मरम्मत योग्य:–

सूचना और संचार तकनीकी को उपष्करों की गैर उपलब्धता के कारण अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।

❖ **भौतिक रूप से क्षतिग्रस्तः–**

ऐसे सूचना और संचार तकनीकी उपकरण जो कि आग या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो गये हैं या किसी अन्य कारण से मानव नियंत्रण से बाहर हो गये हैं और मरम्मत योग्य नहीं हैं तो उन्हें भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए अनुपयोगी घोषित किया जा सकता है।

अनुपयोगिता के प्रकारः–

अनुपयोगिता या तो उसे विक्रय कर या उसके निस्तारण जैसा कि स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा निर्णित है, से किया जा सकता है।

- **विक्रय द्वाराः–**

स्थायी अनुपयोगिता समिति विक्रय द्वारा अनुपयोगिता का निर्णय ले सकती है। स्थायी अनुपयोगिता समिति द्वारा विक्रय मूल्य वापसी के आधार पर जिसमें विद्यमान संविदा के किसी भाग के दरों को उसी दर संविदा पर पूर्व में और विक्रेता के परामर्श से आंकलित कर निर्णय लिया जा सकता है।

- **निस्तारण द्वाराः–**

यदि स्थायी अनुपयोगिता समिति अनुपयोगी घोषित किये जाने के लिए निस्तारण का विकल्प चुनती है तो संबंधित विभाग इसके माध्यम से उसका निस्तारण कर सकते हैं। निविदा, नीलामी या कूड़े के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 में अधिकृत प्रकिया अपनायी जा सकती है। यह प्रकिया पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के अधीन ई–वेस्ट प्रबंधन और व्यवहरण के अनुसार होनी चाहिए। सूचना और संचार तकनीकी घटकों का निस्तारण [redacted] सरकार द्वारा अनुमोदित ई–वेस्ट री–साइकिलर/डिसमेंटियर होने चाहिए।

यदि विभाग विज्ञापित निविदा और नीलामी के माध्यम से प्रयास करने पर अनुपयोगी सूचना एवं संचार तकनीकी घटकों का विक्रय करने में समर्थ नहीं होती है तो वित्त विभाग के परामर्श से सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त कर कूड़े के मूल्य पर उसका निस्तारण कर सकते हैं। यदि विभाग कूड़े के मूल्य पर भी सूचना और संचार तकनीकी के अनुपयोगी घटकों का निस्तारण नहीं कर सकती है तो वह उसका निस्तारण किसी अन्य रीति से जिसमें इकोफ्रेण्डली रीति से घटकों का निस्तारण जिससे स्वास्थ्य की क्षति न हो या पर्यावरणीय प्रदूषण न हो और ऐसे घटकों से कोई दुरूपयोग की सम्भावना न हो, द्वारा निस्तारण कर सकते हैं।

अवशिष्ट मूल्य आंकलनः–

जैसा कि घटकों की अवधि पांच वर्ष अवधारित की गयी है, अनुपयोगी घोषित करते समय अवशिष्ट मूल्य आंकलन पर वार्षिक घटोतरी दर के बीस प्रतिशत पर (घटते मूल्य ह्रास) पर इसका विचार किया जाना चाहिए।

Government of Uttarakhand
Department of Information Technology
No. 175/XXXIV/2016-67/2014
Dehradun: Date 20 ~~March~~ MAY, 2016

Office Memorandum

The Condemnation and Disposal of ICT Components Policy, 2016

Objective of the Policy

With resurgent growth of the ICT infrastructure in every government office, need of comprehensive policy for disposal of unusable infrastructure components is felt across Uttarakhand government offices.

The objective of this policy is to design a comprehensive, economical and efficient process for the disposal of condemned ICT components for stakeholders of Government of Uttarakhand.

II- Guidelines for Condemnation & disposal of ICT Components

ICT Components

ICT components should include the following items:

- PCs
- Servers
- Laptops/tablet
- Dumb Terminals
- Printers including cartridges
- Scanners
- UPSs
- Data Communication Equipment
- Tele Communication Equipment/mobile handset
- Package Software
- Copying equipment
- Electrical and electronic typewriters
- Facsimile
- Telex
- Telephones
- Display Systems
- Storage devices including pen drive, hard disk (external and internal), CDs, DVDs, tape drives etc
- Electronic pen and electronic signature/writing pads
- Consumables and peripherals of any above component

Applicable to

- All Government Departments under Government of Uttarakhand
- All Autonomous Bodies/Local Bodies under Government of Uttarakhand
- All PSUs/Societies/Directorates/Commissionaires under Government of Uttarakhand

Grounds for Condemnation

The ICT components can be condemned on the following grounds:

❖ Technically Obsolete

- Completed 5 years life-span and not in working condition
- Completed 5 years life-span and technology outdated affecting performance and output that is expected out of it.
- Package Software can only be condemned by declaring it as technically obsolete when no more updates or support are available from OEM

❖ Beyond Economical Repairs

ICT Components can be declared BER when these components cannot be upgraded or maintained economically / warrant extensive repairs and replacement of sub-assemblies /accessories and the combined cost of which exceeds certain percentage (50%) of the current cost of an equivalent system. The same can be ascertained from the vendor who is giving AMC support. This holds valid for package software too.

❖ Non-repairable

ICT components can be condemned due to non-availability of spare parts.

❖ Physically damaged

ICT components that have been damaged beyond repair due to fire or any other reason beyond human control can be condemned as Physically Damaged.

Mode of Condemnation

The mode of condemnation may be either Buyback or Disposal, as decided by Standing Condemnation Committee (SCC)

- **Buyback**

  SCC may decide to choose Buyback mode of Condemnation. The Buyback rates will be decide by SCC based on Buyback rates already part of existing contracts else their assessment after comparing similar Rate Contract in the past and in consultation with the vendor.

- **Disposal**

  If SCC decides to choose disposal mode of Condemnation, the concerned Department can dispose it through, Tender, Auction or Scrap as per the procedure laid down in Financial Handbook Volume-V, Part-1. This process should adhere e-waste

(Management and Handling) Rules issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India. ICT components will be disposed-off to government approved e-waste recyclers/dismantlers.

If the Department is unable to sell condemned ICT component in spite of its attempts through auction and advertised tender, it may dispose-off the same at its scrap value with the approval of the competent authority in consultation with Finance division.

In case the Department is unable to sell condemned ICT components even at its scrap value, it may adopt any other mode of disposal including destruction of the component in an eco-friendly manner so as to avoid any health hazard and for environmental pollution and also the possibility of misuse of any such component.

Residual Value Calculation

As the life span of components is considered as 5 years, annual depreciation rate of 20% (written down value) will be considered to calculate residual value at the time of condemnation.

Responsibilities of Department

- The competent authority should constitute a Condemnation Committee at departmental level to declare ICT components as ready for condemnation.
- Condemnation Committee will prepare ICT components condemnation report which should be individually numbered having component description including Make, Model, Serial Number, Asset Register Number, Purchase Date, Purchase Price, Reason for Condemnation and additional information, if any.
- The Condemnation report so prepared by departmental condemnation committee will be reviewed and approved by SCC. The Condemnation will be done only after approval of SCC.
- The department must ensure that all service and inventory labels including Data, Operating System must be removed from condemned ICT component after taking proper backup.
- Once the equipment has been condemned it should be removed from office use and keeps it in the area allocated for scrapped equipment.

Responsibilities of SCC

- Department of IT will constitute a SCC comprising of representatives from DoIT, NIC and the concerned Department.
- The SCC will review and approve the condemnation report prepared by Condemnation committee of concerned Department.
- The SCC will also be responsible to decide on the mode of condemnation whether Buy-back or Disposal.

(Deepak Kumar)
Secretary